GCMS संख्या 2021/12
प्रकरण संख्या 343/21
श्री बाबूलाल बनाम श्री नारायणसिंह

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2021/12

प्रकरण संख्या 343/21

वाद अन्तर्गत धारा 53–188 भू. राजस्व अधिनियम 1955

अनवान

श्री बाबूलाल पिता भगवतीलाल बनाम श्री नारायण सिंह पिता सादुलसिंह

अनवान

1. बाबूलाल पिता श्री भगवतीलाल दर्जी निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।
2. मदनलाल पिता श्री संतोषलाल चौबिसा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।
3. शांतिलाल पिता श्री जसराज नागदा जैन निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।

...............वादीगण

बनाम

1. श्री नारायणसिंह पिता स्व. श्री सादुलसिंह राजपूत निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, उदयपुर।
2. श्री अभयसिंह पिता स्व. श्री सादुलसिंह राजपूत निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, उदयपुर।
3. श्री सज्जनसिंह पिता स्व. श्री सादुलसिंह राजपूत निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, उदयपुर।
4. श्रीमति गुलाबकुंवर पत्नी स्व. श्री सादुलसिंह राजपूत निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, उदयपुर।
5. श्री शिवसिंह पिता स्व. श्री पदमसिंह राजपूत निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, उदयपुर।
6. श्री पप्पुसिंह पिता स्व. श्री खुमाणसिंह राजपूत निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, उदयपुर।
7. श्रीमती चन्द्रकुंवर पत्नी स्व. श्री खुमाणसिंह राजपूत निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, उदयपुर।
8. श्रीमती प्रेमकुंवर पत्नी स्व. श्री फतहसिंह राजपूत निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, उदयपुर।
9. श्री नेपालसिंह पिता स्व. श्री खुमाणसिंह राजपुत, नाबांलिग बविलायत माता श्रीमती प्रेमकुंवर पत्नी स्व. श्री फतहसिंह राजपूत निवासी गोपालपुरा, तहसील भीण्डर, उदयपुर।
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर, जिला उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी : श्री पन्नालाल मारू

अधिवक्ता प्रतिवादी : श्री रमेश चन्द्र सांगावत

निर्णय **दिनांक : 08.04.2022**

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का चारगदिया, तहसील भीण्डर में स्थित खाता संख्या 36 में आराजी संख्या 73, 74, 75 रकबा 3–16 [illegible] संख्या 138, 139 मी. रकबा 3–16 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 7–12 बीघा [illegible] राजस्व रेकर्ड में नारायणसिंह, अभयसिंह, सज्जनसिंह पिता सादुलसिंह, गुलाबकुंवर बेवा [illegible]सिंह 1/3 हि.ब. खुमाणंसिंह पिता डुलेसिंह 1/3 लालसिंह, शिवसिंह, करणसिंह पिता पदमसिंह 1/3 राजपुत सा.देह [illegible] 14.12.2011 विक्रय से खाता संख्या [illegible] पर दर्ज है। टिप्पणी में उक्त भूमि नामान्तरण संख्या 240/14.12.2011 विक्रय से खाता संख्या [illegible] आराजी संख्या 73, 74, 75 रकबा 3–16 बीघा एवं आराजी संख्या 138, 139 मी. रकबा 3–16 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 7–12 बीघा भूमि में लालसिंह, करणसिंह पिता पदमसिह राजपुत 1/6 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर भीण्डर

Scanned by CamScanner

के बजाय बाबुलाल पिता भगवतीलाल दर्जी, मदनलाल पिता संतोषलाल चौबिसा 1/6 नि.भीण्डर के दर्ज की स्वीकृति हुई।

2. न्यायालय सहायक कलक्टर वल्लभनगर द्वारा 26.06.2016 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई जिसमें यह डिक्री दी गई की "वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि मौजा राजस्व ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का चारगदिया, तहसील भीण्डर में स्थित खाता संख्या 36 में आराजी संख्या 73, 74, 75 रकबा 3–16 बीघा एवं आराजी संख्या 138, 139 मी. रकबा 3–16 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 7–12 बीघा भूमि का बंटवारा पक्षकारान के हिस्से व कब्जे के आधार पर किया जावे एवं तहसीलदार को पालना के लिए भेजी गयी।

3. न्यायालय हाजा द्वारा परित प्राथमिक डिक्री की पालना में उप तहसीलदार भीण्डर द्वारा क्रमांक : LR/2016/480 दिनांक 21.11.2016 द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिसमें रिपोर्ट भू.अभि. निरीक्षक द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी श्री पप्पुसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत चाहता है की मौके पर वर्तमान कब्जे को डिस्टर्ब करते हुए जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार प्रत्येक खसरा नम्बर के टुकड़े किये जाये। मौके पर श्री पप्पुसिंह एवं श्रीमती चन्द्रकुंवर द्वारा आराजी नम्बर 73–74–75 के पश्चिम भाग में पत्थर की कोट बनाकर काबिज है। इसी प्रकार इस आराजी के पूर्व भाग में श्री नारायणसिंह, अभयसिंह, सज्जन सिंह पिता सादुल सिंह काबिज है। प्रतिवादीगण श्री पप्पुसिंह, श्रीमती चन्द्रकुंवर, श्री नारायण सिंह अभयसिंह, सज्जनसिंह पिता सादुलसिंह का कब्जा आराजी संख्या 138–139 मी. पर नहीं है। वादी श्री बाबूलाल एवं संतोष लाल ने जाहिर किया की जमाबंदी में हिस्से अनुसार उनका आराजी नम्बर 138–139 मी. में 1–05 बीघा भूमि पर कब्जा है जो कि दिनांक 23.07.2014 के मौके पर्चे से भी स्पष्ट है वादिगणों का कब्जा आराजी संख्या 73–74–75 में नहीं है। वादीगण चाहते है की एक चकबन्दी करते हुए कब्जे को बिना डिस्टर्ब किये विभाजन किया जाये अतः पूर्व में किये विभाजन से वादिगण सहमत है। अन्य प्रतिवादीगण श्री नारायणसिंह, अभयसिंह, सज्जनसिंह पिता सादुलसिंह शिवसिंह पिता पदमसिंह वगैरह ने बताया कि उनके पूर्वजों के द्वारा पेत्रिक भूमि के अन्य आराजियात को सम्मिलित करते हुए एवं एक चक चकबन्दी करते हुए मौके पर काबिज है अन्य आराजियात इस प्रारंभिक डिक्री का अंग नहीं है। अतः हमारे कब्जों को डिस्टर्ब नहीं किया जाये अतः में किये गये विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। प्रतिवादी पप्पुसिंह के अनुसार प्रत्येक आराजी का हिस्से अनुसार टुकड़े किये जाये तो सभी पक्षकारों के कब्जे डिस्टर्ब होते अन्य पक्षकार कब्जे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते है और अन्य प्रतिवादीगण श्री नारायणसिंह अभयसिंह, सज्जनसिंह पिता सादुलसिंह शिवसिंह पिता पदमसिंह वगैरह उनके पूर्वजो की पैत्रिक भूमि के अन्य आराजियात को सम्मिलित करते हुए एवं एक चक चकबंदी करते हुए मौके पर काबिज है अन्य पक्षकार भी कब्जे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते है। अन्य आराजियात इस प्रारम्भिक डिक्री का अंग नहीं है। प्रारम्भिक डिक्री केवल आराजी संख्या 73–74–75 तथा 138–139 मी. रकबा 7–12 बीघा से संबंधित है श्री पप्पूसिंह के अलावा अन्य पक्षकार दिनांक 23.07.2014 को तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव से सहमत है।

4. उपरोक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत [illegible] एवं गिरदावर द्वारा तैयार रिपोर्ट एवं उपतहसीलदार द्वारा अग्रेषित रिपोर्ट के आधार पर 20.04.201[illegible] [illegible] जारी की गई। उक्त डिक्री की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय [illegible] के समक्ष पेश की गई। उस पर श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक [illegible].2018 को निर्णय द्वारा इस आशय से पुनः लौटायी गई की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2017 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर • जिला–उदयपुर (राज.) •

सहायक कलक्टर भीण्डर

Scanned by CamScanner

20.06.2016 की पालना में अधिकृत अधिकारी से विभाजन प्रस्ताव तलब करे एवं अपीलांट की आपत्तियो का विधिक निस्तारण कर डिक्री पारित करे।

5. माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश की पालना में दिनांक 12.12.2019 द्वारा तहसीलदार भीण्डर को आदेशित किया गया कि न्यायालय के आदेशानुसार बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे। जिसकी पालना में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्राथमिक संशोधित डिक्री दिनांक 20.06.2016 के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 3.03.2020 को प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव जिसमें मौजा गोपालपुरा की जमाबन्दी सवत् 2050–53 के खाता संख्या 36 में कुल किता 14 रकबा 25–06 बीघा भूमि खातेदारी रूप में दर्ज होकर जिसके मूल खातेदार नारायणसिंह, अभयसिंह, सज्जनसिंह पिता सादुलसिंह गुलाबकुंवर बेवा सादुल सिंह 1/3 हिस्सा बराबर खुमाणसिंह पिता डुलेसिंह 1/3 लालसिंह, शिवसिंह, करणसिंह फतेहसिंह पिता पदमसिह 1/3 राजपूत दर्ज है एवं वर्तमान में परिवर्तित खातेदारान के नाम भूमि दर्ज होकर सभी वर्तमान खातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। सम्पूर्ण भूमि पैतृक होने से मौके पर बंटवाड़ा पूर्व से कीया होकर चकबंदी के रूप में काबिज है। किन्तु रिकार्ड में खाता शामलाती चला आ रहा है। पी.डी. पालना में मौके पर वादी एवं प्रतिवादीयों को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया एवं प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रतिवादी श्री पप्पूसिंह पिता खुमानसिंह राजपूत मौके पर वर्तमान कब्जे को डिस्टर्ब करते हुए जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार प्रत्येक खसरा संख्या के टुकड़े किये जाने का निवेदन किया। मौके पर पप्पूसिंह एवं श्रीमती चन्द्रकुंवर द्वारा आराजी संख्या 73–74–75 के पश्चिम भाग में पत्थर की कोट बना कर काबिज है एवं फसल गेंहु की बुआई की गयी है। इसी प्रकार आराजी के पूर्व भाग में नारायण सिंह अभय सिंह सज्जन सिंह पिता सादुलसिंह द्वारा समान रूप से तीन भाग पर काबिज है एवं चने की काश्त की गयी है तथा आंशिक भाग पर मकान निर्मित है। प्रतिवादीगण श्री पप्पूसिंह, श्रीमति चंन्द्रकुंवर श्री नारायणसिंह, श्री अभयसिंह, सज्जनसिंह पिता सादुलसिंह का कब्जा काश्त आराजी संख्या 138–139मी. पर नहीं है। वादग्रस्त आराजी संख्या 73–74–75 एवं 138–139मी. की भूमि पर वादी बाबूलाल पिता भगवतीलाल दर्जी वगेरह ने 1/6 हिस्से अनुसार आराजी संख्या 138–139मी. में खातेदार द्वारा दिए गए कब्जे अनुसार मौके पर काबिज होकर पक्की चारदीवारी बना रखी है। अन्य प्रतिवादीगण श्री नेपालसिंह पिता फतेसिंह, प्रेमकुंवर बेवा फतेसिंह, शिवसिंह पिता पदम्सिंह वगेरह ने बताया कि उनके पूर्वजो द्वारा पैतृक भूमि के अन्य आराजियात को सम्मिलित करते हुए एवं चकबंदी करते हुए मौके पर बंटवाड़ा कर रखा है एवं उसी अनुसार काबिज है। चुकिं अन्य आराजियात इस प्रारम्भिक डिक्री का अंग नहीं है अतः प्रतिवादी संख्या 6 के कब्जों को डिस्टर्ब नहीं किया जावे एवं वादी के आराजी संख्या 138–139मी. की भूमि में कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाता है तो हम सहमत है। तथा अन्य प्रतिवादियों ने भी मौके अनुसार विभाजन की मौखिक सहमति प्रदान की। तथा शामलाती खातेदारी में से अन्य खातेदारों ने भी अपने हिस्से की कुछ भूमि का विक्रय किया है एवं अपने कब्जे अनुसार क्रेताओ को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया हुआ है एवं संयुक्त खाते की बेचान की गयी भूमि के अलावा शेष भूमि अभी तक शामलाती खाते में [illegible] लिए वादीगणों का हिस्सा मौके पर कब्जे अनुसार पृथक कर शेष भूमि [illegible] गया है ताकि वक्त मौरूसी जायदाद कृषि भूमि का बंटवांड़ा करने में किसी प्रकार का विवाद [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:56 IST
Reason: SelfAttested

6. तहसीलदार द्वारा प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर प्रतिवादी श्री [illegible] श्रीमति चन्द्रकुंवर की ओर से आपत्ति दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने के लिए तहसीलदार भीण्डर को कमिश्नर नियुक्त किया गया परन्तु आदेश की पालना में तहसीलदार भीण्डर न तो मौके पर आए ओर न ही उन्होने मोका निरीक्षण किया और पटवारी हल्का को मौके पर

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

भेजा जिन्होने मौके की वास्तविकता के विपरित मौका पर्चा तैयार कर तहसीलदार भीण्डर को प्रस्तुत किया जिन्होने बिना भौतिक सत्यापन किये अपनी रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। प्रतिवादीगण ने न्यायालय से प्रतिलिपि प्राप्त की तो जानकारी में आया कि खातेदार लालसिंह, करणसिंह पिता पदमसिंह से वादी बाबूलाल पिता भगवतीलाल, मदनलाल पिता सन्तोषलाल चोबिसा से वादग्रस्त आराजी सेख्या 73–74–75 एवं 138–139मी. किता–2 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 1/6 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.11.2011 को क्रय किया। उक्त भूमि क्रय करने वाले बाबूलाल एवं मदनलाल ने शान्तिलाल को कुछ भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया लेकिन बाबूलाल एवं मदनलाल ने न्यायालय से सही तथ्यों को छिपाया जब कि दौराने वाद ही इस भूमि में से हिस्सा शान्तिलाल पिता जसराज नागदा को विक्रय किया गया है। वादीगण ने खातेदार लालसिंह, करणसिंह से वाद वर्णित आराजीयात में से 1/6 हिस्सा क्रय किया और विक्रय पत्र में सिर्फ हिस्से का उल्लेख होकर पड़ोस अंकित है। बड़वाड़ा सूची में आराजी संख्या 138,139 किता 1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि सम्पूर्ण शान्तिलाल पिता जसराज 1/2 नागदा बाबुलाल पिता भगवतीलाल दर्जी, मदनलाल पिता सन्तोषलाल चौबिसा 1/2 हि0ब0 सा. भीण्डर दर्शाया गया है जब कि उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर ही इन खातेदारों का हक हिस्सा कब्जा है और 1/2 हिस्से पर शेष खातेदारों एव प्रतिवादीगण का हक हिस्सा कब्जा है तथा पटवारी हल्का द्वारा जो बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया है उसे बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने का विधिक अधिकार नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा वास्तविक स्थिति से परे जाकर पक्षकारान के बिना ज्ञान, बिना सहमति के बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है।

7. प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा जारी पीडी आदेश की पालना में तहसीलदार भीण्डर स्वयं तथा भू.अभिलेख निरीक्षक भीण्डर एवं पटवारी हल्का चारगदिया द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में पर्चा मौका बनाया गया तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करवाया गया है जो पूर्णतया विधि पूर्वक तरीके से माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार बनाया गया है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर तहसीलदार भीण्डर, पटवारी हल्का एवं भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा मौके पर मौजूद वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने–अपने हस्ताक्षर किये गये है। वादी बाबूलाल एवं मदनलाल द्वारा आराजी संख्या 73–74–75, 138–139मी. कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिश्वा भूमि में से 1/6 हिस्सा क्रय किया गया उसमें से 1/2 अर्थात कुल आराजियात का 1/12 हिस्सा शांतिलाल को दिनांक 04.03.2016 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया। शांतिलाल द्वारा क्रय के तुरन्त बाद पश्चात् दिनांक 17.03.2016 को ही माननीय न्यायालय में वादी के रूप में पक्षकार मुकदमा बनने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी प्रस्तुत कर दिया गया था। तथा तहसीलदार भीण्डर द्वारा जो बंटवाड़ा सूची तैयार की गई है वह पूर्णतय मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति के अनुसार एवं पक्षकारों के वादग्रस्त आराजीयात में हिस्सेनुसार तैयार की गई। अतः वादीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया प्रतिवादीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार भीण्डर द्वारा भिजवाई गई पीडी पालना की रिपोर्ट एवं बंटवाड़ा सूची के अनुसार ... अंतिम डिक्री ... प्रदान करावे।

8. वादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया सं... आदेश 1 नियम 10 के द्वारा वादी से भूमि क्रय करने एवं जमाबन्दी राजस्व रेकर्ड में अंकन होने के कारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दिनांक 03.02.2022 को स्वीकार किया जाकर वादी के रूप में पक्षकार बनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर जिला–उदयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर भीण्डर

Scanned by CamScanner

9. हमने पत्रावली का अध्ययन किया विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया विद्वान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरें का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया।

1191 RRD 197

1986 RRD 226

2015 (2) RRT 898

1995 RRD 475

2003 (2) RRT 777

2016 (1) RRT 87

1993 RRD 651

10. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद में माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर वल्लभनगर द्वारा दिनांक 20.06.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसमें हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किया जावे। माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तहसीलदार द्वारा प्राथमिक बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें तहसीलदार स्वयं द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें तहसीलदार द्वारा बनायें गये मौके पर पप्पूसिंह एवं श्रीमती चन्द्रकुंवर द्वारा आराजी संख्या 73–74–75 के पश्चिम भाग में पत्थर की कोट बना कर काबिज है एवं फसल गेंहु की बुआई की गयी है। इसी प्रकार आराजी के पूर्व भाग में नारायण सिंह अभय सिंह सज्जन सिंह पिता सादुलसिंह द्वारा समान रूप से तीन भाग पर काबिज है एवं चने की काश्त की गयी है तथा आंशिक भाग पर मकान निर्मित है। प्रतिवादीगण श्री पप्पूसिंह, श्रीमति चंन्द्रकुंवर श्री नारायणसिंह, श्री अभयसिंह, सज्जनसिंह पिता सादुलसिंह का कब्जा काश्त आराजी संख्या 138–139मी. पर नहीं है। वादग्रस्त आराजी संख्या 73–74–75 एवं 138–139मी. की भूमि पर वादी बाबूलाल पिता भगवतीलाल दर्जी वगेरह ने 1/6 हिस्से अनुसार आराजी संख्या 138–139 मी. में खातेदार द्वारा दिए गए कब्जे अनुसार मौके पर काबिज होकर पक्की चारदीवारी बना रखी है। अन्य प्रतिवादीगण श्री नेपालसिंह पिता फतेसिंह, प्रेमकुंवर बेवा फतेसिंह, शिवसिंह पिता पदम्सिंह वगेरह ने बताया कि उनके पूर्वजो द्वारा पैतृक भूमि के अन्य आराजियात को सम्मिलित करते हुए एवं चकबंदी करते हुए मौके पर बंटवाड़ा कर रखा है एवं उसी अनुसार काबिज है।

अतः वादीगण का कब्जा 138–139 मी. भूमी पर होने एवं प्रतिवादीगण पप्पुसिंह का कब्जा 138–139 मी. पर नहीं होने एवं 73–74–75 पर होने तथा माननीय न्यायालय द्वारा कब्जे काश्त के अनुसार प्राथमिक डिक्री दिये जाने के कारण तहसीलदार प्रस्तुत किये गये बंटवांड़ा प्रस्ताव कि मौजा **गोपालपुरा** पटवार हल्का **चारगदिया** की जमाबन्दी संवत् **2050–2053** के खाता संख्या **36** के आराजी संख्या **138–139 मी. एवं आराजी संख्या 73–74–75 किता 2 कुल रकबा 7–12 बीघा** भूमि का बंटवाड़ा निम्नानुसार अंतिम निर्णित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्र. स.	नाम खातेदार	आराजी	रकबा	किस्म	लगान
1	श्री शांतिलाल पिता जसराज 1/2 बाबुलाल पिता भगवतीलाल दर्जी मदनलाल पिता संतोषलाल चौबिसा 1/2	204 138–139	किता 1	बी. द्वितीय	0.80
	योग	किता 1	1–05 बीघा	बी. द्वितीय	0.80

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर भीण्डर

Scanned by CamScanner

2	नारायणसिंह, अभयसिंह, सज्जनसिंह पिता सादुलसिंह, गुलाब कुंवर बेवा सादुलसिंह 2/5, पप्पुसिंह पिता खुमाणसिंह 12/35 शिवसिंह पिता पदमसिंह 1/10 नेपालसिंह पिता फतहसिंह ना.बा. सरक्षिका माता प्रेमकुंवर, प्रेमकुंवर पति फतहसिंह 1/10 राजपूत सा.देह खातेदार रहन : SBBJ भीण्डर पप्पुसिंह व चन्द्रकुंवर रहन : SBBJ भीण्डर – शिवसिंह पर	138–139 मी. 73–74–75	2–11बीघा 3–16बीघा	खा. द्वितीय बी. 1–01 ह. तृतीय 1– कु. तृतीय 1–0 खा. द्वितीय 2–11 खड्डा 0–01	1.64 7.00
योग		किता 2	6–07 बीघा		8.64

आदेश

परिणामस्वरूप तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर वाद अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अंतिम निर्णित किया जाता है एवं निम्न वर्णित सारणी अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है कि मौजा **गोपालपुरा** पटवार हल्का **चारगदिया** की जमाबन्दी संवत् **2050–2053** के खाता संख्या **36** के आराजी संख्या **138–139 मी. एवं आराजी संख्या 73–74–75 किता 2 कुल रकबा 7–12 बीघा** भूमि का बंटवाड़ा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है

क्र. स.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	श्री शांतिलाल पिता जसराज 1/2 बाबुलाल पिता भगवतीलाल दर्जी मदनलाल पिता संतोषलाल चौबिसा 1/2	204/138 – 139	1–05 बीघा	बी. द्वितीय	0.80
योग		किता 1	1–05 बीघा	बी. द्वितीय	0.80
2	नारायणसिंह, अभयसिंह, सज्जनसिंह पिता सादुलसिंह, गुलाब कुंवर बेवा सादुलसिंह 2/5, पप्पुसिंह पिता खुमाणसिंह 12/35 शिवसिंह पिता पदमसिंह 1/10 नेपालसिंह पिता फतहसिंह ना.बा. सरक्षिका माता प्रेमकुंवर, प्रेमकुंवर पति फतहसिंह 1/10 राजपूत सा.देह खातेदार रहन : SBBJ भीण्डर पप्पुसिंह व चन्द्रकुंवर रहन : SBBJ भीण्डर – शिवसिंह पर	138–139 मी. 73–74–75	2–11बीघा 3–16बीघा	खा. द्वितीय बी. 1–01 ह. तृतीय 1– कु. तृतीय 1–0 खा. द्वितीय 2–11 खड्डा 0–01	1.64 7.00
योग		किता 2	6–07 बीघा		8.64

वर्णित सारणी अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है तहसीलदार भीण्डर राजस्व रेकर्ड के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्ची पृथक से जारी फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:56 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)
सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner